



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
विशेष अपील संख्या – 3/2026

ऋतिक प्रजापति

... अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं 2 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – सविता जैन, निकिता मिश्रा

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय
माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री सविता जैन एवं राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रत्यूष श्रीवास्तव को सुना ।
2. यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें रिट न्यायालय द्वारा रिट ए संख्या 6986/2025; *रिटिक प्रजापति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य* में दिनांक 02.07.2025 को पारित निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी गई है।
3. अपीलकर्ता ने कांस्टेबल (सिविल पुलिस) पद के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, जिसकी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2025 में प्रारंभ हुई थी। उसकी चिकित्सकीय जांच दिनांक 29.04.2025 को उन्नाव में एवं दिनांक 19.05.2025 को लखनऊ में हुई थी। अपीलकर्ता को 'फ्लैट फीट' (पैर सपाट होना) के कारण अयोग्य पाया गया, इसलिए उन्हें झांसी में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई। जिस चिकित्सीय राय/रिपोर्ट के आधार पर अपीलकर्ता को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाया गया था, उसे अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता ने उपरोक्त रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी है। दिनांक 01.09.2025 को उसकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति को विशेष रूप से चुनौती

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नहीं दी गई थी, लेकिन आज श्री प्रत्यूष श्रीवास्तव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा इसे हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसे अभिलेख में दर्ज किया गया है। उक्त अस्वीकृति मात्र दिनांक 29.04.2025 एवं 19.05.2025 की चिकित्सा रिपोर्टों पर आधारित है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त रिट याचिका को प्रवेश स्तर पर ही खारिज कर दिया था, इसलिए यह अपील दायर की गई है।

4. दिनांक 17.12.2025 को, अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा करते हुए, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जो इस प्रकार है:

"1. अपील 133 दिनों से बाधित है।

2. अपील में प्रस्तुत दलील की प्रकृति एवं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर एक अन्य याचिका दायर की है, अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है।"

3. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादियों द्वारा कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए अपीलकर्ता को फ्लैटफुट के दोष से ग्रस्त होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के शारीरिक औषधि एवं पुनर्वासि विभाग के विभागाध्यक्ष से अपनी जांच करवाई है, जिन्होंने यह बताया है कि अपीलकर्ता फ्लैटफीट के दोष से ग्रस्त नहीं हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता की जांच एक स्वतंत्र चिकित्सा बोर्ड द्वारा कराई जाए।

4. प्रस्तुत किए गए कथनों के दृष्टिगत, अपीलकर्ता दस दिनों के भीतर इस न्यायालय के वरिष्ठ निबंधक के नाम पर 10,000/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करे। डिमांड ड्राफ्ट की रसीद प्रस्तुत करने पर, डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्वेद विज्ञान संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के निदेशक द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा अपीलकर्ता की जांच की जाएगी। यह बोर्ड अपीलकर्ता की जांच करेगा एवं इस संबंध में रिपोर्ट भेजेगा कि क्या अपीलकर्ता को फ्लैटफीट के दोष से ग्रस्त है।

5. यदि अपीलकर्ता का मामला वास्तविक नहीं पाया जाता है, तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी, अन्यथा यह राशि उसे वापस कर दी जाएगी। डिमांड ड्राफ्ट को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए एवं न्यायालय के निर्देश पर ही जमा किया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता आदेश की सूचना अस्पताल को देंगे एवं अगली तारीख से पूर्व उनके द्वारा आवश्यक रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

7. अपील को दिनांक 09.01.2026 को नए सिरे से सूचीबद्ध किया जाए।”

5. इसके बाद मामला 09.01.2026 को सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुआ, तब चिकित्सकीय जाँच रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई एवं उक्त रिपोर्टों पर विचार करते हुए हमने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

“1. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

2. यह विशेष अपील अपीलकर्ता – रितिक प्रजापति द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-ए संख्या 6986/2025 (रितिक प्रजापति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 02.07.2025 को चुनौती दी गई है।

3. दिनांक 17.12.2025 के आदेश के अनुसरण में, निदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा गठित एक बोर्ड द्वारा किए गए चिकित्सकीय जाँच पर आधारित चिकित्सकीय जाँच रिपोर्ट अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री आनंद सिंह द्वारा सीलबंद लिफाफे में हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट को अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है। सीलबंद लिफाफा खोल दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, "फ्रैट फीट (पेस्प्लैनस) का कोई नैदानिक या रेडियोलॉजिकल साक्ष्य नहीं मिला"।

4. दिनांक 23.12.2023 के विज्ञापन/अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर चयन एवं नियुक्ति के लिए अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी अस्वीकृत कर दी गई थी, क्योंकि उन्हें फ्रैट-फुट (पैर का सपाट होना) के आधार पर अयोग्य पाया गया था, जो अब गलत प्रतीत होता है। जैसा कि हमारे पूर्व आदेश में उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्विद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग के विभागाध्यक्ष से अपनी जांच करवाई थी, जिन्होंने भी यही निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता फ्रैट-फुट के दोष से ग्रस्त नहीं है, जिसके बाद इस न्यायालय ने उपरोक्तानुसार उनकी चिकित्सकीय जांच का आदेश दिया था एवं अब डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, जो एक सरकारी संस्थान है, के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पांच चिकित्सकों के बोर्ड ने पुनः राय दी है कि फ्लैट-फुट (पेस्प्लैनस) का कोई नैदानिक या रेडियोलॉजिकल प्रमाण नहीं है।

5. इस चिकित्सा रिपोर्ट की एक प्रति श्री आनंद सिंह, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को भेजी जाए, ताकि वे इसका अध्ययन कर सकें, संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचित कर सकें एवं उपरोक्त के आलोक में निर्देश प्राप्त कर सकें या आवश्यकतानुसार शपथपत्र दाखिल कर सकें।

6. यह मामला अब 28 जनवरी, 2026 को नए सिरे से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा।

7. इस बीच, यह प्रावधान किया गया है कि अन्य पिछड़ी जातियां श्रेणी के अधीन सिविल पुलिस में कांस्टेबल के पद पर एक रिक्ति है। दिनांक 31.12.2025 को विज्ञापित की गई श्रेणी को रिक्त रखा जाएगा, जब तक कि उक्त श्रेणी के लिए कोई रिक्ति, जिसका विज्ञापन पूर्व दिनांक 23.12.2023 को दिया गया था एवं जिसके लिए अपीलकर्ता ने आवेदन किया था, अभी भी रिक्त न हो, तब ऐसी स्थिति में वह रिक्ति नहीं भरी जाएगी।”

6. अब, दिनांक 09.01.2026 के हमारे आदेश में हमने जो पाया है, उसके अनुसार अपीलकर्ता को गलत ढंग से चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया था। यहां तक कि विद्वान स्थायी अधिवक्ता भी उक्त आदेश में उल्लिखित चिकित्सकीय जांच रिपोर्टों के दृष्टिगत उपरोक्त स्थिति का खंडन नहीं करते हैं। मात्र अपीलकर्ता को नियुक्ति देने का प्रश्न है। विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रत्यूष श्रीवास्तव ने निर्देशों के आधार पर सूचित किया है कि वर्ष 2023 में विज्ञापित रिक्तियां, जिनके लिये अपीलकर्ता पर विचार किया गया था, सभी भर दी गई हैं, हालांकि, हमारा मानना है कि उपरोक्त उद्धृत आदेश दिनांक 17.12.2025 एवं 09.01.2026 के हमारे आदेशों में हमने जो पाया है, उसके दृष्टिगत यह तथ्य निर्विवाद है कि चयनित होने के बाद अपीलकर्ता की उम्मीदवारी को मात्र चिकित्सकीय रूप से अयोग्य होने के आधार पर खारिज कर दिया गया था, जो कि गलत है। दिनांक 09.01.2026 के हमारे आदेश में जिन चिकित्सकीय रिपोर्टों पर हमने विचार किया है, वे इस तथ्य का प्रमाण हैं। इस अवैधता एवं सार्वजनिक पद पर नियुक्ति के लिए अपीलकर्ता को समान अवसर से वंचित किए जाने के दृष्टिगत, हमारा मत है कि इस प्रकार की अवैध कार्रवाई से अपीलकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

7. परीक्षा के समय बताई गई चिकित्सकीय अयोग्यता लाइलाज थी, इसलिए स्पष्ट रूप से चिकित्सा परीक्षा त्रुटिपूर्ण थी, अन्यथा हमारे आदेश दिनांक 09.01.2026 में संदर्भित अनुवर्ती मेडिकल बोर्ड रिपोर्टों में अयोग्यता

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

का पता चल जाता एवं यह नहीं लिखा होता कि 'फ्लैट फीट (पेस्पैनस) का कोई नैदानिक या रेडियोलॉजिकल प्रमाण नहीं मिला'। इसलिए, दिनांक 17.12.2025 के हमारे आदेश के अनुसरण में अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय में जमा की गई 10,000/- रुपये की राशि नियमों के अनुसार एक माह के भीतर अपीलकर्ता को वापस कर दी जाएगी।

8. उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय संधार्य नहीं है एवं न ही विपक्षी द्वारा अपीलकर्ता को नियुक्ति एवं पदस्थापन से वंचित करने की कार्यवाई उचित है। यह तथ्य कि भर्ती के बाद अपीलकर्ता को उन्नाव में चिकित्सकीय जांच के बाद झांसी में नियुक्त किया जाना प्रस्तावित था, अधिक महत्व नहीं रखता क्योंकि झांसी में रिक्त पद भर चुका होगा। फिर भी, यह अपने आप में अपीलकर्ता को नियुक्ति न देने का आधार नहीं हो सकता, विशेष रूप से इसलिए कि जैसा कि विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने सूचित किया है, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत कांस्टेबल (सिविल पुलिस) के 8818 पदों का विज्ञापन दिनांक 31.12.2025 को जारी किया गया था, इसलिए स्पष्ट रूप से ऐसे रिक्त पद हैं जो विज्ञापित होने के बावजूद भरे नहीं गए हैं एवं ऐसे रिक्त पदों के विरुद्ध चयन नहीं हुआ है। ऐसा विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रत्यूष श्रीवास्तव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्ष 2023 की भर्ती के अधूरे रिक्त पदों को नियमों के अनुसार अगली भर्ती में सम्मिलित कर लिया गया था, जिसका विज्ञापन दिनांक 31.12.2025 को जारी किया गया था। इसके अलावा, तब से लेकर अब तक एवं भविष्य में भी अन्य रिक्तियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए राज्य का यह दायित्व है कि वह अपीलकर्ता को कांस्टेबल (सिविल पुलिस) के पद पर किसी भी वर्तमान रिक्ति या निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति प्रदान करे।

9. हम दिनांक 02.07.2025 के आक्षेपित आदेश एवं दिनांक 29.04.2025 एवं 19.05.2025 की चिकित्सकीय रिपोर्टों को रद्द करते हैं। चूंकि हमने उपरोक्त कारणों से चिकित्सकीय रिपोर्टों को रद्द कर दिया है, इसलिए दिनांक 01.09.2025 का अनुवर्ती अस्वीकृति आदेश निरर्थक एवं महत्वहीन हो जाता है, अतः भले ही इसे विशेष रूप से चुनौती न दी गई हो, इससे इस कार्यवाही के परिणाम पर कोई अंतर नहीं पड़ता।

10. हम विपक्षीगण की मनमानी कार्यवाई के लिए अपीलकर्ता को हर्जाना देने के इच्छुक थे, लेकिन अपीलकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री सविता जैन के इस कथन के कारण कि उनके मुवक्किल को हर्जाने में कोई रुचि नहीं है एवं अपीलकर्ता के लिए यह पर्याप्त है कि उसके साथ हुए अन्याय का निवारण हो जाए एवं उसे रोजगार प्राप्त हो

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जाए, हमने ऐसा नहीं किया।

11. तदनुसार, हम प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 को उपरोक्त के अनुपालन में इस संबंध में आवश्यक आदेश पारित करने का निर्देश देते हैं। इस संबंध में औपचारिक आदेश इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर जारी किया जाएगा।

12. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

28 जनवरी, 2026

अर्णिमा